न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—449/2016/223 (2016/00449)

1. अम्बालाल पुत्र ग्यारसीदेवी पुत्री छोटीदेवी पत्नि स्व0 धन्या, जाति नायक निवासी गाडरीखेड़ा, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 हजारी,
2. ओमप्रकाश पुत्र हरचंद,
3. पार्वती पुत्री हरचंद,
4. आशा पुत्री हरचंद,
5. दया शंकर पुत्र अर्जुन,
6. कैलाश पुत्र भागीरथ,
7. चेतन पुत्र भागीरथ,
8. संतोष पुत्री भागीरथ,
9. सीता पुत्री भागीरथ,
   जाति रेगर, नि0 केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
11. भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत नागौर, मुख्यालय, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 18.2.2016 अंतर्गत वाद संख्या 6/2012.

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांट।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 5 से 7.
3. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 6.
4. रेस्पो0 संख्या 1, 3, 4 व 8 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10.

निर्णय

दिनांकः— 22.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.2.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 ने अधी0न्याया0 के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट के साथ राज्य सरकार एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 133—603/588 के खसरा नंबर 7936 रकबा 0.31 है00 जिसके कि साबिक खसरा नंबर 5492 रकबा 1.

18 बीघा संवत् 2016–19 में अपीलांट की नानी छोटी बेवा चुन्या नायक राहिनान अमरसिंह, सुगनसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति राजपूत व हजारी पुत्र भीया रेगर शिकमी काश्त दर्ज होकर चली आ रही है । उक्त आराजी पर अमसिंह व सुगनसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अमरसिंह नाऔलाद फौत होने पर सुगनसिंह अकेला वारिस रहा जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.5.1956 को भीवडा उर्फ भीवा पुत्र चतरा जाति रेगर, निवासी केकड़ी को बचेान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है । उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में छोटी बेवा चुन्या उर्फ धन्या के नाम भी राजस्व रिकार्ड में इंद्राज चलार आ रहा है । इस कारण विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण/रेस्पो0 को विवादित आराजी का खातेदार काश्त घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी/अपीलांट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबदं किया जावे । अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर आदेश पारित किये कि खसरा नंबर 7936 रकबा 0.31 है0 में से 0.12 है0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त हो चुकी है, को छोड़कर शेष रकबा 0.19 है0 का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है । प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यदि अवाप्त भूमि अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया हो तो वादीगण मुआवजा लेने के हकदार रहेगें। प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व प्रतिवादी छोटी बेवा चुन्या उर्फ धन्ना नायक का स्वर्गवास दिनांक 13.2.1971 को ही हो चुका था इसलिये अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजी के वर्तमान में खातेदार स्व0 छोटी बेवा चुन्या उर्फ धन्ना नायक है जो कि संवत् 2016 से 2019 की जमाबंदी में छोटी बेवा चुन्या उर्फ धन्ना खातेदार दर्ज थी । उक्त जमाबंदी में विवादित आराजी में रहन का अंकन अमरसिंह, सुगनसिंह पुत्र बख्तावरसिंह दर्ज था । उक्त राजस्व रिकार्ड में अमरसिंह, सुगनसिंह का नाम दर्ज होने का दिनांक 18.5.1956 को भींवडा पुत्र चतरा रेगर के नाम विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया जबकि अमरसिंह व सुगनसिंह विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में मात्र रहन का अंकन होने से उन्हें विक्रय पत्र निष्पादित करने का अधिकार नहीं था । उक्त बिन्दु को अधी0न्याया0 ने बिना कोई निर्णय दिये ही वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.2.2016 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की नानी का स्वर्गवास वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही हो चुका था विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय एकपक्षीय था जिसकी जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 23.9.2016 को जमाबंदी की नकल लिये जाने पर हुई जिसमें उपखण्ड अधि0केकड़ी के निर्णय व डिक्री की पालना में नामांतकरण संख्या 1043 दिनांक 17.6.2016 को रेस्पे0 के नाम तस्दीक किया । जानकारी होने पर

अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे ।

6. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 एवं 5 से 7 के अधिवक्ता श्री शांतिप्रकाश औझाा एवं रेस्पो0 संख्या 6 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं थे इसलिये उन्हें बिना धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किये अपील पेश किये जाने का अधिकार नहीं है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश नहीं किया है जिससे अपीलांट की अपील संधारण योग्य नहीं होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है । अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 (20) पेज 1 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2062 से 2064 के खाता संख्या 603 में दर्ज खसरा नंबर 7936 रकबा 0.31 है0 भूमि श्रीमती छोटी के नाम दर्ज थी । उपरोक्त भूमि रेस्पो0 के पूर्वज भिवडा वल्द चतरा रेगर, साकिन केकड़ी ने सुगनसिंह वल्द बख्तावरसिंह, राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1956 में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से रेस्पो0/वादी ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अपीलांट द्वारा आजदिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है । इस कारण उक्त अपील संधारण योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है । साथ ही यह भी कथन किया कि जमाबंदी संवत् 2016 लगायत 2019 में रेस्पो0 के पूर्वज भिवडा खातेदार के रूप में दर्ज है तथा रेस्पो0 अपने पूर्वजों के समय से ही आराजियात पर विधिक रूप से तथा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त आराजियात में से कुछ भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की जा चुकी है जिसकी अवाप्ति की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु आज दिनांक तक छोटी देवी अथवा उनके वारिसान द्वारा किसी प्रकार की कोई जाराचोही नही की गई है जिससे भी यह सिद्ध होता है कि छोटीदेवी का नाम केवल राजस्व रिकार्ड में ही दर्ज था मौके पर छोटी देवी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. रिबटल में विद्वान वकील अपीलांट ने बहस के दौरान जाहिर किया कि उनके द्वारा अधी0न्याया0 में पक्षकार नहीं होते हुए भी जो अपील पेश की है वह विधिसम्मत् है तथा इस हेतु धारा 96 जा0दी0 के आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में उन्होंने रेस्पो0 के अभिभाषक के कथनों का विरोध किया तथा अपने पक्ष के समर्थन में आर0आर0डी0 1995 पेज 179 की न्यायिक नजीर पेश करते हुए बताया कि इसमें मान0 न्यायालय द्वारा यह तय किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके बजाय उन सब बातों को अपील के ग्राउण्ड में लिख देता है और उसके बाद उसकी अपील एडमिट हो जाती है तो उस सूरत में यही माना जावेगा कि अदालत द्वारा उसे पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई है और इस आधार पर प्रार्थी की अपील निरस्त नहीं की जा सकती है । आगे कथन किया कि अधी0न्यायामें प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ तथा न ही उन्हें सुनवाई का अवसर ही दिया गया । अतः वे अपने हितों का सरंक्षण नहीं कर पाये । इस स्थिति में वे इस अपील में आवश्यक पक्षकार है तथा

वादग्रस्त आराजी में उनके हित निहित है । अतः धारा 96 जा0दी0 के आवेदन के बिना भी उन्हें अपील की अनुमति होना माना जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम रेस्पो0 द्वारा धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के अभाव में अपील संधारण योग्य नहीं होने बाबत् किये गये ऐतराज का निर्णय किया जाना उचित समझते है । इस संबंध में उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों के आधार न्यायालय का यह विनम्र मत है कि यदि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का हित निहित है तथा अधी0न्याया0 में उन्हें जवाब दावा एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हुआ है तो समुचित न्याय हेतु बिना धारा 96 जा0दी0 के आवेदन के भी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये । चूंकि वर्ष 2016 में अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील को दर्ज किया जा चुका है तथा अपील के ग्राउण्ड में वादग्रस्त आराजी में अपीलांट की हितबद्धता बाबत् तथ्यों को उल्लेख कर दिया गया है तथा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी में भी अपीलांट की हितबद्धता प्रथमदृष्टया जाहिर होती है । ऐसी स्थिति में कानूनी दृष्टांत आर0आर0डी0 1995 पेज 179 के तथ्य प्रकरण में चस्पा होते है तथा इसके प्रकाश में अपीलांट को धारा 96 जा0दी0 के आवेदन के बिना अपील प्रस्तुत करने की न्यायहित में अनुमति दी जाती है । इस संबंध में रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा जो कानूनी नजीर पेश की गई है वह प्रकरण के तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है । चूंकि अपीलांट की अपील को वर्ष 2016 में ही दर्ज किया जा चुका है तथा अपीलांट ने धारा 96 जा0दी0 के आवेदन बाबत् समस्त तथ्य अपने अपील मीमों में अंकित कर दिये है तथा एकबार जब न्यायालय ने उन्हें पक्षकार मानकर प्रकरण को अंतिम रूप से सुना जा रहा है तथा अधी0न्याया0 में अपीलांट को सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला है ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलांट को सुना जाने के लिये अनुमत किया जाना उचित एवं आवश्यक है ।

9. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सदभाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 9 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट की नानी श्रीमती छोटी देवी पत्नि धन्या, जाति नायक के विरूद्ध धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में वाद प्रस्तुंत किया जबकि अपील पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार छोटीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 13.2.1971 को ही हो चुका है। इस प्रकार रेस्पो0 / वादीगण द्वारा मृतक छोटीदेवी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया गया है जो संधारण योग्य नहीं था । हम वकील अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि मृतक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और यदि कर भी दिया गया है तो मृतक के वारिसान को बाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था परन्तु मृतक के विरूद्ध निर्णय दिया गया जो विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है तथा अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलांट जाति से नायक अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अपीलाधीन भूमि को संवत् 2016 से 2019 की जमाबंदी के अनुसार गिरवीदार अमरसिंह व सुगनसिंह द्वारा पंजीबव्द्ध विक्रयपत्र से हस्तातंरण किया जाना अवैध है । यह भी कथन किया कि अमरसिंह व सुगनसिंह खातेदार नहीं थे एवं न ही उनको हस्तातंरण का कोई अधिकार ही था । यह भी कथन रहा है कि अनुसूचित जाति की भूमि को

स्वर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तातंरित नहीं की जा सकती है । परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया एवं अपीलांटस को बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि मृतक छोटीदेवी का नवासा होकर अपीलांधीन भूमि में हित अधिकार रखता है किन्तु अपीलांट का अपीलाधीन भूमि में हक व हिस्सा है अथवा नहीं इस संबंध में अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत प्रतीत होता है ।

11. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व दिनांक दिनांक 18.2.2016 निरस्त की जाती है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वादी में अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 22.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर